तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06.11.17	अधिवक्ता अपीलांट श्री विनोद विजय उपस्थित। प्रा0 पत्र स्थगन दर्ज रजिस्टर करें। मूल प्रकरण के साथ पत्रावली दिनांक 27.11.2017 को पेश हो।

जिला कलक्टर
दौसा

20/11/17

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट द्वारा दि० 15.11.17 को शीघ्र सुनवाई का प्रा० पत्र पेश किया गया। उक्त प्रा० पत्र पर पत्रावली आज रखी गई। अधिवक्ता अपील० व राजकीय अधिवक्ता उप०। स्थगन प्रा० पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपील० द्वारा विवादित ख० नं० 2662, 2671 व 2676 सिवाय-चक भूमि पर कोई अतिचार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने पीछे से आदेश पारित कर दिया गया। इसलिए न्यायालय में अपील के निर्णय तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि० 11.10.17 को स्थगित फरमाने की कृपा करें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि विवादित भूमि पर पारित आदेश विधि प्रक्रिया एवं नियमों के तहत पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि खसरा नं० 2662 रकबा 0.06 है, 2671 रकबा 0.15 है०, 2676 रकबा 0.05 व 0.02 है पर

अपी० द्वारा बाजरा की फसल, गै०मु० रास्ता व बोरिंग व छप्परे डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी द्वारा करने पर नोटिस जारी किया गया जिस पर गंगा सहाय के हस्ताक्षर मौजूद है। अपी० का कथन गलत है कि उनको सुना नहीं। अपी० नियत दिनांक को अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित रहे है। तहसीलदार द्वारा नियमोपेत कार्यवाही किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर स्थगन दिया जाना उचित नहीं है।

अतः अपी० द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण में संलग्न रहे। [illegible] कार्यालय दाखिल गया।

जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official